बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना

नया सचिवालय, तीसरा तल्ला, कमरा संख्या 330 (A)
बेली रोड, पटना 800 015, (बिहार)
फोन नंबर: 0612-2215001 ईमेल आई.डी.: registar.bnrc@gmail.com

पत्रांक...2126../बी.एन.आर.सी. दिनांक..25./.10../2019

–:: सहमति पत्र ::–

प्रेषक,

निबंधक,
बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना।

सेवा में,

सचिव,
नारायण नर्सिंग कॉलेज,
जमुहार, सासाराम, रोहतास (बिहार)–821305

विषय :– सहमति पत्र के संबंध में।

प्रसंग :– स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार सरकार आदेश ज्ञापांक 1331(6), दिनांक 23.10.2019.

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक NNC/SO/019/805, दिनांक 24.10.2019 के आलोक में सूचित करना है कि स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार सरकार आदेश ज्ञापांक 1331(6), दिनांक 23.10.2019 के द्वारा आपके प्रशिक्षण संस्थान को पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटों के साथ नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

उपरोक्त विभागीय पत्र के सन्दर्भ में बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना की सहमति है।

विश्वासभाजन

25/10/19

निबंधक,
बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय

<u>आदेश</u>

आ०सं०–6 / एम०–09–209 / 2018–_____ / पटना–15, दिनांक–________________

विभागीय आदेश ज्ञापांक–1284(6), दिनांक–23.11.2018 द्वारा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4(ii) के आलोक में देव मंगल मेमोरियल ट्रस्ट, जी०टी० रोड, जमुहार, रोहतास–821305 द्वारा प्रस्तावित नारायण नर्सिंग कॉलेज, जमुहार, रोहतास के नाम से पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० (नर्सिंग) संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 – विभागीय आदेश ज्ञापांक–241(6), दिनांक–14.02.2019 द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में डॉ० नन्द कुमार मिश्रा, अपर निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 – विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त नारायण नर्सिंग कॉलेज, जमुहार, रोहतास को नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4 (iii) के आलोक में पोस्ट बेसिक बी०एस०सी० (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटो पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :–

(क) संस्थानें भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों / निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, रोहतास समय–समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ङ) संस्थान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(च) राज्य के अन्तर्गत नर्सिंग शिक्षा में गुणात्मक सुधार के निमित विभागीय आदेश ज्ञापांक–944(6), दिनांक–26.07.2019, 631(6), दिनांक–17.05.2019 एवं पत्रांक–991(6), दिनांक–05.08.2019 द्वारा नर्सिंग संस्थानों के लिए निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन तीन माह के अन्दर किया जाएगा। साथ ही अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर निर्धारित अवधि के अन्तर्गत विभाग को समर्पित करेंगे। इसे अत्यावश्यक समझेंगे एवं भविष्य में निर्गत होने वाले दिशा–निर्देशों का अनुपालन संस्थान अनिवार्य रूप से करेगी।

(छ) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना (ii) सिविल सर्जन, रोहतास तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – आदेश में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(डॉ० तपेश्वर प्रसाद)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।